




INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature *Arvind*
ACC Name: Arvind Kumar
ACC No: UP14531904
eCC Address: Collectory Kachhwa
Dist: Gorakhpur
Pin: 221001

Certificate No.	: IN-UP37516738174315U
Certificate issued Date	: 01-Nov-2022 05:46 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) up14531904/ GORAKHPUR SADAR/ UP-GRK
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1453190467845157052168U
Purchased by	: UMESH CHANDRA SRIVASTAVA S O LATE SHAMBHU NATH SRI
Description of Document	: Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 750
First Party	: UMESH CHANDRA SRIVASTAVA S O LATE SHAMBHU NATH SRI
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: UMESH CHANDRA SRIVASTAVA S O LATE SHAMBHU NATH SRI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 750 (Seven Hundred And Fifty only)



Please refer to type below this link

Umesh Chandra Srivastava



Pr
Principal
S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Umesh Chandra Srivastava
MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

0000855313

Subj: Stamp

1. The information given above is for the purpose of providing a receipt of stamp duty only.
2. The user of stamping the instrument is under the jurisdiction of the State Government.
3. The State Government is not responsible for the loss of the instrument.

1
(न्यास-पत्र)



Umesh Chandra Srivastava



Gopinath Srivastava



Gopinath Srivastava

हम कि उमेश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व० शम्भूनाथ श्रीवास्तव निवासी म०न०-32के, "कामिनी गेह", जंगल सालिकराम, कलकट्टी-टोला, पोस्ट-जंगल सालिकराम, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर (उ०प्र०) भारत का हूँ।

हम मुक्ति समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करते रहते हैं तथा हम मुक्ति के मन-मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ-साथ राष्ट्र एवं समाजहित का चिन्तन बना रहता है। हम मुक्ति की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति, आपसी सदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थाना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूल-भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा उत्तम स्वास्थ्य एवं आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों का उनके

Umesh Chandra Srivastava



Umesh Chandra Srivastava

Principal
S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का उत्तम अवसर प्रदान किया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति धर्म और साम्प्रदाय कहीं से भी बाधक नहीं हो। मेधावी एवं प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाय। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थाना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा इस हेतु आवश्यक संसाधनों के बावत मु0 11001/- रू0 (ग्यारह हजार एक रुपया) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है। आगे भी इस कोष में विभिन्न उपायों से धनराशि एवं चल एवं अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करता रहूंगा। हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास को प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहा हूँ जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जावेगी :-

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित ट्रस्ट का नाम "एस0एन0एस0एस0 ट्रस्ट (शम्भू नाथ सरोज श्रीवास्तव ट्रस्ट)" होगा, जिसे आगे "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि उपरोक्त "एस0एन0एस0एस0 ट्रस्ट (शम्भू नाथ सरोज श्रीवास्तव ट्रस्ट)" का ट्रस्टी वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आस्था हिन्दू धर्म में हो तथा हिन्दू धर्म के अन्तर्गत जिसकी भगवान चित्रगुप्त में आस्था हो तथा कायस्थ जाति का हो।
3. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास का कार्यालय म0नं0-32के, "कामिनी गेह", जंगल सालिकराम, कलकट्टी-टोला, पोस्ट-जंगल सालिकराम, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर (उ0प्र0) भारत होगा। उक्त न्यास के कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं एवं समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण


Principal

S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Umesh Chandra Saini Umesh Chandra Saini

MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

भारत वर्ष होगा परन्तु आवश्यकता पडने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।

4. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करता हूं। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :-

(1)-श्रीमती कामिनी श्रीवास्तव पत्नी उमेश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी म0नं0-32के, "कामिनी गेह", जंगल सालिकराम, कलकट्टी-टोला, पोस्ट-जंगल सालिकराम, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर (उ0प्र0) भारत।

(2)-अभिनव श्रीवास्तव पुत्र उमेश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी म0नं0-32के, "कामिनी गेह", जंगल सालिकराम, कलकट्टी-टोला, पोस्ट-जंगल सालिकराम, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर (उ0प्र0) भारत।

(3)-गौरव श्रीवास्तव पुत्र उमेश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी म0नं0-32के, "कामिनी गेह", जंगल सालिकराम, कलकट्टी-टोला, पोस्ट-जंगल सालिकराम, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर (उ0प्र0) भारत।

5. यह कि हम मुकिर द्वारा "एस0एन0एस0एस0 ट्रस्ट (शम्भू नाथ सरोज श्रीवास्तव ट्रस्ट)" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1-अवयस्क एवं बालिग बालक/बालिकाओं को सुविधापूर्ण ढंग से उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एवं समाज कार्य के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के द्वारा जन सामान्य के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

2-शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना एवं जन सामान्य में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण


Principal

S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Umesh Chandra Bristo


MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur



देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश-विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।

3-बालक-बालिकाओं को सुविधापूर्वक उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किंड केयर, नर्सरी, प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराना। व्यवसायिक, प्रशिक्षण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, तकनीकी शिक्षा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं कृषि विज्ञान की शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा हेतु संस्थान स्थापित करना / स्थापित करने में सहयोग करना एवं उपलब्ध कराना।

4-समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5-निर्बलों के उत्थान हेतु शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना। सामान्य जन में चेतना जागृत करने एवं उनके बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

6-आय के स्रोत हेतु आवास एवं व्यवसायिक भवन का निर्माण करना।

7-शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के कमजोर छात्र / छात्राओं को विभिन्न व्यवसायिक एवं नौकरियों की तैयारी हेतु कोचिंग सेन्टर्स की व्यवस्था करना तथा उरासे होने वाली आय से ट्रस्ट का पोषण करना।

8-आम आदमी को रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उन्हें स्वरोजगार हेतु विभिन्न विधाओं की शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना।

9-समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु कल्याणकारी कार्यों को सम्पादित करना तथा इनके रहने हेतु भवन एवं छात्रावास बनवाना। इसके अतिरिक्त यरिष्ठ तथा निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

10-खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनके संसाधन उपलब्ध कराना।

11-समाज के सभी धर्म एवं वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु सहायक विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाना तथा क्रियान्वित कराना।

12-समाज के सभी धर्म एवं वर्ग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में

औद्योगिक के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं आवश्यक होने पर विधि पूर्वक संस्था स्थापित करना।

13-स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना। शिविर एवं सेमिनार आयोजित करना। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करना। स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को रोगमुक्त करना। निःशुल्क टीकाकरण, रक्तदान शिविर तथा नेत्र-ज्योति शिविर का आयोजन करना। धमार्थ चिकित्सालयों का निर्माण कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य निःशुल्क संचालित करना।

14-कृषि एवं भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्यों द्वारा भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण का कार्य करना तथा विशेषज्ञों के आधुनिक शोध कार्यों से कृषकों को लाभ पहुंचाना तथा कृषि विविधकरण कार्यक्रमों का संचालन करना। कृषि एवं पशुपालन, मुर्गी पालन व रेशम कीट पालन की जानकारी उपलब्ध कराना तथा संसाधन भी उपलब्ध कराना। कृषि एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु कार्य करना।

15-पर्यावरण एवं जल संरक्षण हेतु कार्य करना तथा जलाशय एवं प्याऊ आदि की व्यवस्था करना तथा वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य करना।

16-दैवी आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प, महामारी इत्यादि से पीड़ित जनों की सहायता करना तथा इसकी रोकथाम करना।

17-गोवंश की रक्षा, भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था करना तथा इस हेतु गौशालाओं की स्थापना करना। डेयरी फार्म एवं दुग्ध विकास के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु आवश्यक कार्यों का निःस्वार्थ भाव से करना।

18-महिलाओं के उत्थान हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे-सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, संगीत शिक्षा एवं ब्यूटी पार्लर आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के योग्य बनाना तथा निराश्रित महिलाओं, वृद्धों व बच्चों के लिए आश्रय स्थल तथा वृद्धाश्रम को स्थापित करना। सामाजिक उत्थान के लिए समस्त सम्बन्धित कार्य करना जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोगी हो।

19-समाज में जाति व धर्म के आधार पर व्याप्त कुरीतियों एवं विभक्तियों

Principal

S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Umesh Chandra Swain

Umesh Chandra Swain

MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना। मादक पदार्थों का नशा करने वालों की लत छुड़वाने के लिए गोष्ठी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जनजागरण करना और इसके लिए चिकित्सकों की मदद से धर्मार्थ अस्पतालों का निर्माण करना।

20-सड़क सुरक्षा नियमों एवं यातायात के नियमों का पालन कराने के लिये जन सामान्य को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।

21-समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान का कार्य करना तथा ऐसे वर्ग के युवक/युवतियों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। मलिन बस्तियों के उत्थान की व्यवस्था करना।

22-किसी अन्य सरकारी अथवा एन0जी0ओ0 समिति, न्यास/ट्रस्ट के क्रिया कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस न्यास/ट्रस्ट से मिलता हो।

23-सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं आम नागरिकों से आर्थिक सहायता लेकर न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करना।

24-न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिलों/प्रदेशों स्थापित करना या फैलाना।

25-सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी विधिक मान्यता प्राप्त बैंक/गैर सरकारी विधिक मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण/सहायता प्राप्त करना।

6. न्यास/ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1-समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व न्यास/ट्रस्ट से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना। केन्द्र एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करना।


2-न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों का सुचारु रूप से व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

3-न्यास/ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारु रूप से संचालन के लिये अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तैयार


Principal

S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Umesh Chandra Srivastava


MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

उपनियमों को बनाना।

4-न्यास/ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं समितियों की सदस्यता के लिये विभिन्न प्राक्धानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिये धन, सदस्यता शुल्क, दान इत्यादि प्राप्त करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयों गठित करना।

5-न्यास/ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं की व्यवस्था के लिये शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

6-न्यास/ट्रस्ट के चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल करना तथा न्यास/ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास करना। आवश्यकता पड़ने पर न्यास/ट्रस्ट के चल अचल सम्पत्ति को नियमानुसार हरतान्तरित करना एवं उसकी व्यवस्था करना।

7-न्यास/ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास/ट्रस्ट में निहित करना।

8-न्यास/ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित समस्त संस्थाओं एवं समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये नियमावली तैयार करना, उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

9-न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा न्यास/ट्रस्ट संचालित संस्थाओं के हित में आम नागरिकों, सरकारी एवं गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों, केन्द्र एवं राज्य सरकार से दान, उपहार, अनुदान, ऋण एवं अन्य स्रोतों से धन, तथा अचल सम्पत्ति को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यय करना।

10-न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास/ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।

11-न्यास/ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर न्यास/ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित

Principal

S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Unesh Chandra Srivastava

Unesh Chandra Srivastava
MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

करना।

12-न्यास/ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये जाने वाले संस्थाओं की अनापत्ति प्रमाण पत्र/मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना।

7. न्यास/ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था :-

(क) न्यास/ट्रस्ट का गठन एवं संचालन :-

न्यास/ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

1-न्यास/ट्रस्ट का मुख्य न्यासी/ट्रस्ट एवं प्रबन्धक हम मुकिएर होंगे और न्यास/ट्रस्ट के मुख्य न्यासी/ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य न्यासी/ट्रस्टी को अपने विधिक उत्तराधिकारियों में से ही गले मुख्य न्यासी/ट्रस्टी को पंजीकृत वसीयत विलेख द्वारा नामित किया जा सकेगा। किन्हीं परिस्थितियों में मुख्य न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय अथवा विधिक रूप से पागल घोषित हो जाये अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो जाये तो मुख्य न्यासी/ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा ही अपने में से ही अगले मुख्य न्यासी/ट्रस्टी का चयन किया जायेगा। यदि विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा अगले मुख्य न्यासी/ट्रस्टी का चयन नहीं किया गया अथवा चयन करने में असफल रहने पर मुख्य न्यासी/ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में पति/पत्नी जीवित हो तब वह स्वतः मुख्य न्यासी/ट्रस्टी होंगे, परन्तु मुख्य न्यासी/ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में पति/पत्नी जीवित नहीं है तब अन्य विधिक उत्तराधिकारियों में से ही ट्रस्ट मण्डल द्वारा मुख्य न्यासी/ट्रस्टी का चयन किया जायेगा। यदि मुख्य न्यासी/ट्रस्टी की पत्नी/पति उत्तराधिकार के आधार पर मुख्य न्यासी/ट्रस्टी नियुक्त होती/होते है तथा उसके पश्चात पुनर्विवाह कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में वह मुख्य न्यासी/ट्रस्टी के पद से स्वतः पदच्युत हो जायेगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्य न्यासी/ट्रस्टी के अन्य विधिक उत्तराधिकारियों में से ही उपरोक्तानुसार मुख्य न्यासी/ट्रस्टी नामित होगा।

2-मुख्य न्यासी/ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित न्यासी/ट्रस्टी ही मुख्य न्यासी/ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा, परन्तु ऐसे

Principal

S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Umesh Chandra Srivastava

Umesh Chandra Srivastava
MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

अधिकृत मुख्य न्यासी/ट्रस्टी को अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण/पट्टा/किरायेदारी का विलेख सम्पादित करने का तथा न्यास/ट्रस्ट के नियमों, उपनियमों में परिवर्तन/संशोधन करने अथवा निरस्त करने एवं अन्य नियम, उपनियम बनाने का तथा अन्य नये न्यासी/ट्रस्टी को नामित/नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु ऐसे मुख्य न्यासी/ट्रस्टी को न्यास/ट्रस्ट हित में प्रत्येक धनराशि को व्यय करने हेतु प्रत्येक स्थिति में न्यास/ट्रस्ट मण्डल से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी न्यासी/ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

3-न्यास/ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से न्यासीगण/ट्रस्टीगण को न्यास/ट्रस्ट की सुचारु प्रबन्ध व्यवस्था के लिए न्यास/ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी। इस प्रकार नियुक्त किए गये न्यासियों/ट्रस्टियोंका कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। न्यास/ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन न्यास/ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से ही बहुमत के आधार पर किया जायेगा। न्यास/ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न किया जायेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य न्यासी/ट्रस्टी की देखरेख में कराया जा सकेगा। इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने पर मुख्य न्यासी/ट्रस्टी का निर्णय मान्य एवं अन्तिम होगा।

4-न्यास/ट्रस्ट मण्डल के किसी भी न्यासी/ट्रस्टी के त्यागपत्र देने अथवा मृत्यु हो जाने पर या विधिक रूप से पागल घोषित हो जाने पर उसका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में रिक्त स्थान की पूर्ति मुख्य न्यासी/ट्रस्टी द्वारा न्यास/ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

5-न्यास/ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को (मुख्य न्यासी/ट्रस्टी को छोड़कर) उसके द्वारा न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास/ट्रस्ट के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास/ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से न्यास/ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार

सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को न्यास/ट्रस्ट मण्डल के न्यासी/ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा।

6-न्यास/ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्राचार्य तथा शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी सम्बन्धित संस्थाओं के विभागीय नियमानुसार जहां पदेन सदस्य होते हैं वहां पर न्यासी/ट्रस्टी मण्डल के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7-न्यासी/ट्रस्टी मण्डल को कोई भी न्यासी/ट्रस्टी किसी से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो सम्बन्धित न्यासी/ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

8-न्यास/ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य न्यासी/ट्रस्टी अथवा न्यास/ट्रस्ट मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये व्यय एवं उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय प्रमाणक को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी/ट्रस्टी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) न्यास/ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन :-

1-न्यास/ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। वर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से होगा। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास/ट्रस्ट से संचालित समस्त संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव एवं संस्थाओं के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्राचार्य तथा पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। सामान्य वार्षिक बैठक की सूचना सभी लोगों को सूचना पंजीका द्वारा व्यक्तिगत/पंजीकृत डाक के माध्यम से 15 दिन के पूर्व दिया जायगा परन्तु आकस्मिक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दिया जाना अनिवार्य होगा। सभी बैठकों की सूचना मुख्य न्यासी/ट्रस्टी द्वारा दिया जायेगा। वार्षिक सामान्य एवं आकस्मिक बैठकों में उपरोक्त सभी का उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। वार्षिक सामान्य एवं आकस्मिक बैठकों में अनुपस्थित रहने के लिए मुख्य न्यासी/ट्रस्टी का पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

2-वार्षिक बैठक में न्यास/ट्रस्ट एवं इससे संचालित संस्थाओं के वर्ष भर के आय-व्यय सहित सम्पूर्ण क्रिया-कलापों पर विचार होगा। इस बैठक में न्यास/ट्रस्ट एवं इससे संचालित संस्थाओं के चालू वित्त वर्ष/आगामी वित्त वर्ष आकस्मिक बजट निर्धारित किया जायेगा।

विचारोपरान्त बहुमत से पारित न्यास/ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा।

8. मुख्य न्यासी/ट्रस्टी एवं प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :-
- 1- इस न्यास/ट्रस्ट के मुख्य न्यासी/ट्रस्टी के प्रधान प्रबन्धक के रूप में कार्य करना न्यास/ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
 - 2- न्यास/ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक धनराशियों को प्राप्त करना तथा उसका प्राप्ति रसीद देना।
 - 3- न्यास/ट्रस्ट की कार्यवाही स्वयं लिखना। अन्य अभिलेखों को स्वयं तैयार करना/कराना।
 - 4- न्यास/ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना देना।
 - 5- न्यास/ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा न्यास/ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा जोखा रखना तथा आय व्यय का विवरण तैयार कर विचारार्थ न्यास/ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
 - 6- न्यास/ट्रस्ट के ओर से न्यास/ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण एवं प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
 - 7- न्यास/ट्रस्ट द्वारा अथवा न्यास/ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों में न्यास/ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना एवं अधिवक्ता/मुख्तार नियुक्त करना।
 - 8- न्यास/ट्रस्ट की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना। इस न्यास/ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा न्यास/ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष न्यासियों/ट्रस्टियों के सहयोग से न्यास/ट्रस्ट के कार्यों को करना।
 - 9- न्यास/ट्रस्ट के आय व्यय का विवरण तैयार कर न्यास/ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से लेखा परीक्षण करना।
 - 10- न्यास/ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का रख रखाव करना।
 - 11- मुख्य न्यासी/ट्रस्टी को अपने विधिक उत्तराधिकारियों में से ही अगले मुख्य न्यासी/ट्रस्टी को पंजीकृत वसीयत विलेख द्वारा नामित करना।

12-मुख्य न्यासी/ट्रस्टी द्वारा न्यासी/ट्रस्टी नामित करना, पदच्युत करना।

9. न्यास/ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था :-

न्यास/ के कोष के सुचारु रूप से रख रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में न्यास/ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जायेगा जिसमें न्यास/ट्रस्ट की समस्त प्रकार की धनराशियों एवं ऋण राशियां निहित होगी। न्यास/ट्रस्ट के समस्त बैंक खाते का संचालन मुख्य न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा यदि मुख्य न्यासी/ट्रस्टी चाहे तो मुख्य न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अधिकृत न्यासी/ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

10. न्यास/ट्रस्ट के अभिलेख :-

1-न्यास/ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करना/कराना व रख रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी/ट्रस्टी का होगा।

2-न्यास/ट्रस्ट का सूचना/कार्यवाही एवं न्यासियों/ट्रस्टियों से सम्बन्धित पंजीका को स्वयं मुख्य न्यासी/ट्रस्टी द्वारा तैयार किया जायेगा। इसके रख रखाव की जिम्मेदारी मुख्य न्यासी/ट्रस्टी की होगी।

11. न्यास/ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था :-

1-न्यास/ट्रस्ट मण्डल द्वारा न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आम नागरिकों, सरकारी एवं गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाओं, सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों, केन्द्र एवं राज्य सरकार से दान, उपहार, अनुदान, ऋण एवं अन्य स्रोतों से धन तथा अचल सम्पत्ति को प्राप्त किया जा सकेगा। किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास/ट्रस्ट के आय को बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास/ट्रस्ट के ओर दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य न्यासी/ट्रस्टी अधिकृत होंगे। मुख्य न्यासी/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी अन्य न्यासी/ट्रस्टी को अधिकृत कर सकते हैं।

2-यह कि मुख्य न्यासी/ट्रस्टी, न्यास/ट्रस्ट के द्वारा स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे, विक्रय कर सकेंगे, पट्टा/किरायेदारी ले सकेंगे तथा दे भी सकेंगे एवं अधिग्रहण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे।

3-यह कि न्यास/ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाने एवं दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार न्यास/ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा। न्यास/ट्रस्ट एवं उसके अधीन संचालित समितियों के अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध किये कार्यवाही की अपील का परीक्षण न्यास/ट्रस्ट मण्डल द्वारा किया जायेगा। न्यास/ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

4-न्यास/ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में न्यास/ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था न्यास/ट्रस्ट में निहित होगी।

5-न्यास/ट्रस्ट द्वारा न्यास/ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास/ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी न्यास/ट्रस्ट के तरफ से मुख्य न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित न्यासी/ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा।

6-न्यास/ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुरस्कार का विवरण भी न्यास/ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। न्यास/ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक/मानदेय पर कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

7-न्यास/ट्रस्ट मण्डल न्यास/ट्रस्ट के हितों के लिये आवश्यक सभी कार्य करेगा। न्यास/ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की चल अचल सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में न्यास/ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित किया जायेगा उसके बावत भी यह शर्त लागू होगी। उपरोक्त वर्णित धन के अतिरिक्त संस्था के पास कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

घोषणा

"एस0एन0एस0एस0 ट्रस्ट (शम्भू नाथ सरोज श्रीवास्तव ट्रस्ट)" की तरफ से हम मुकिर उमेश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र स्व0 शम्भूनाथ श्रीवास्तव निवासी म0नं0-32के, "कामिनी गेह", जंगल सालिकराम, कलकट्टी-टोला, पोस्ट-जंगल सालिकराम, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर (उ0प्र0) श्रीवास्तव

Principal
S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Umesh Chandra Srivastava

MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

आवेदन सं: 202200950042299

प्रमाण पत्र

पृष्ठ सं: 4

रजिस्ट्रेशन सं: 328

वर्ष: 2022

प्रतिकूल: 11001 स्टाम्प शुल्क - 750 बाजारी मूल्य - 0 फंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 100 योग: 600

श्री जगेश चन्द श्रीवास्तव,

पुत्र श्री संजय शम्भूराव श्रीवास्तव

व्यवसाय: अन्य

निवासी: 12के, कामिनी रोड, जंगल सांखिकरण, कलकट्टी टोला, पोस्ट जंगल सांखिकरण, गोरखपुर

Umesh Chandra Swast



मे यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 02/11/2022 एवं 01:25:39 PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

29/11/22

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

A
रजत शंकर प्रसादी
उप निबंधक अंतर प्रथम
गोरखपुर
02/11/2022
S
अवधिका पास सुपरीवासी
निबंधक लिपिक
02/11/2022

पिट करे



Rishi
Principal
S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Umesh Chandra Swast
MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

मुख्य न्यासी/ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़कर एवं समझकर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी दबाव के सोच समझकर इस न्यास पत्र को निबंधन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सकें।

प्रतिबन्धों की बाध्यता :-

क्या विभाग/शासन के निम्नलिखित प्रतिबन्ध आपको स्वीकार है।

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ एजुकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ङ) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढायी जायेगी।

Principal

S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Umesh Chandra Srinivasa

Umesh Chandra Srinivasa
MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur

आवेदन सं.: 2022000950042299

बही सं.: 4

रजिस्ट्रेशन सं.: 328


वर्ष: 2022

शिक्षादाता संशोधन बाद्य सुनने व समझने माहजुज व प्राप्त धनराशि व प्रत्येकानुसार उक्त

स्थानी: 1

श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, पुत्र श्री स्वयं सम्भूतार श्रीवास्तव
निवासी: 32के, कमिली रोड, जंगल सा लिबराम, कानकड़ी टोल, पोस्ट
जंगल सा लिबराम, गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य



ने शिक्षादाता स्वीकार किया। जिसकी पहचान

पहचानकर्ता: 1




श्री सुभाषिण चक्रवर्ती, पुत्र श्री मृगुजय चक्रवर्ती

निवासी: राष्ट्रीयमार्ग केज 4, राय अस्पताल के पास, परगांवा गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य


पहचानकर्ता: 2





श्री सीरीशंकर श्रीवास्तव, पुत्र श्री संभूतार श्रीवास्तव

निवासी: डाउटपुर सुबन्नाथ कुंज, गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य




रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर



उप निबंधक : राटर चयन

गोरखपुर

02/11/2022

अवधिगत पाठ सूचीवशी
निबंधक लिपिक गोरखपुर

02/11/2022

ने की। प्रत्यक्षत अद्य साक्षियों के विधान अंगुठे निबन्धनानुसार सिध गए हे

दिप्पनी:

प्रिंट करे


 Principal
 S.N.S.S. ACADEMY
 Sangam Chowk, Gorakhpur


 MANAGER
 S.N.S.S. Academy
 Gorakhpur

- (झ) विद्यालय का रेकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
 (ञ) उपर्युक्त क्रम (क) से (झ) में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।
 (ट) उपर्युक्त क्रम (क) से (ञ) तक के प्रतिबंधों को सोसाइटी के बाइलॉज में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

कृपया प्रबंधाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें की विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबंध (क) से (ट) तक स्वीकार है।

नोट :- उक्त शर्तों/प्रतिबंधों को सम्बन्धित संस्था/सोसाइटी/ट्रस्ट बायलाज/ट्रस्टडीड में समावेश करते हुए संस्था/सोसाइटी/ट्रस्ट के बायलाज की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय।

Umesh Chandr Srinivas

गवाहान :-

1-

सुभासिष चक्रवर्ती पुत्र मृत्युंजय चक्रवर्ती निवासी
 राप्तीनगर फेज-4, राना अस्तपाल के पास,
 घरगांवा, गोरखपुर।

मो0नं0-9264972739

2-

गौरीशंकर श्रीवास्तव पुत्र शंभूनाथ श्रीवास्तव
 निवासी दाउदपुर, सुखनाथ कुंज, गोरखपुर।

मो0नं0-8853986339

प्रारूप तैयारकर्ता

विमल कुमार गुप्ता

(एडवोकेट)

रजि0नं0-UP3856/18

दीवानी कचहरी गोरखपुर।

दिनांक 01-11-22

Umesh Chandr Srinivas

MANAGER

S.N.S.S. Academy
 Gorakhpur

Principal

S.N.S.S. ACADEMY
 Sangam Chowk, Gorakhpur

आवेदन सं०: 202200950042299

वही संख्या 4 जिल्द संख्या 320 के पृष्ठ 237 से 268 तक क्रमांक 328 पर दिनांक 02/11/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रजत श्रेष्ठ

रजत श्रेष्ठ प्रभारी

उप निबंधक : सदर प्रथम

गोरखपुर

02/11/2022

फिट करे

Rm
Principal
S.N.S.S. ACADEMY
Sangam Chowk, Gorakhpur

Unesh Chandra Singh
MANAGER
S.N.S.S. Academy
Gorakhpur